सिमरोल आईआईटी की दीवार के खिलाफ याचिका कोर्ट में स्वीकृत

इंदौर () पत्रिका, स्थिगेल में वन रहे आईआईटों के नए भवन में बाउड़ावाल का लंकर हाई कोर्ट की गुगल पांड में ग्रामाणों ने रिट अपील दायर को है। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे स्वांकाएं कर लिया। केलाश आंग्नोंकों स्वाहत 15 किस्पानों ने अपील में आईआईटों की दीवार के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की

है। स्ट को लेकर 10 जुलाई को रनवाई होगा। एडवाकेट देवेड रेडरे के मुताबिक मुख्य मार्गसे इंड किलोमीटर अंदर तैयार हो से आईआइटो भवन के पाय हो साम बालदा है। यहां के सामीण, किमान ब बनवामा उन सड़कों से हो आते-जात रहे हैं, जहां आईआईटों को बाउड़ावाल बन रही है।